



झारखंड सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

Duplicate-copy CRSLP947645

11/11/2019



नामांतरण शुद्धि-पत्र

जिला का नाम	धनबाद	अनुमंडल नाम	धनबाद	अंचल का नाम	गोविन्दपुर	हल्का	हलका-04	
इस्टेट का नाम	झारखण्ड	भाग	5	पृष्ठ संख्या वर्तमान	41	थाना न.	89	
वर्तमान(VOL)								
क्रमिक संख्या	केस न.	मौजा का नाम/ राजस्व थाना न.	थाना का नाम	स्वीकृत द्वारा और तिथि	परिवर्तन प्रकार	अभिधृत जिसमें नामांतरण संबंधित है खाता न. भाग वर्तमान पृष्ठ संख्या वर्तमान	कारोबार विस्तृत सूचना खाता न. प्लॉट न. क्षेत्रफल	रजिस्टर 2 अद्यतन तिथि अभ्युक्ति
7645	5643 /R27 2018 - 2019	भेलाटाड/ 89	गोविन्दपुर	25/05/2019	By Sale Registration Deed 1137 Dated 22/02/2019	33 1 628	33 474 5.07 डिसमील	10

क्रेता का नाम :

(SADANAND PRASAD SINGHपिता-LATE THAKUR
DAYAL SINGH, जाति-भुमीहार, पता-GAMTRIYA
BENGABAD GIRIDIH)

जमाबंदी रैयत का नाम :

नरेन्द्र कुमार कर्ण दी० -पिता-श्री केशव लाल दास

विक्रेता का नाम :

TUSHAR KARN , पति-NARENDRA KUMAR KARN,
जाति-कायस्थ, पत्ता-HOUSING COLONY DHANBAD

राजस्व कर्मचारी हलका-04 को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ हस्तान्तरित।
यह एक कंप्यूटर जनित प्रति है
यह प्रपत्र केवल प्रार्थी की जानकारी के लिए है
इसका उपयोग किसी भी न्यायालय में साक्ष्य के रूप में नहीं किया जा सकता है।

Signature valid

Digitally signed by



Bandana Bharti

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर

Dublicate Copy

11-Nov-2019

आदेश

तिथि

May 25 2019

आदेश पर की

गई कारवाई

अभिलेख आज प्रस्तुत किया गया। क्षेत्रिय कर्मचारी ने अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्रतिवेदन समर्पित किया। प्राप्त प्रतिवेदनानुसार आवेदित जमीन मौजा भैलाटाड थाना गोविन्दपुर

खाता	प्लॉट	रकबा
33	474	0 एकड, 5.07 डिसमील, 0हेक्टर

का विक्रेता

विक्रेता का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
TUSHAR KARN	पति	NARENDRA KUMAR KARN

हैं जिन्होंने निबंधित विक्री, विक्री-केवाला संख्या 1137 दिनांक MMM d yyyy के द्वारा आवेदक को विक्री किए हैं। उक्त जमीन का खतियानी / जमाबंदी रैयत

रैयत का नाम	रिश्ता	अभिभावक का नाम
नरेन्द्र कुमार कर्ण दी०	पिता	श्री केशव लाल दास

वर्तमान जमीन पर आवेदक का दखल है। सर्वसाधारण सूचना का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त हुआ। किसी ने कोई आपत्ती नहीं की है। क्षेत्रिय कर्मचारी / अं.नि. ने आवेदित भूमि का नामान्तरण आवेदक के नाम से करने हेतु अनुशंसा किया है।

अतः हल्का कर्माचारी/ अंचल निरीक्षक के जाँच प्रतिवेदन एवं अनुशंसा के आधार पर आवेदित भूमि का दाखिल खारिज आवेदन को स्वीकृत किया जाता है।

अतः वार्षिक लगान 10रुपये अलावे सेस के साथ नामान्तरण स्वीकृत किया जाता है।

शुद्धि पत्र हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाता है।

Digitally Signed by :

Bandana Bharti

अंचलाधिकारी गोविन्दपुर